भारत सरकार
और
नॉर्वे राज्य की सरकार
के बीच
हवाई सेवाओं से संबंधित
समझौता

भारत सरकार और नॉर्वे राज्य की सरकार, जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननअभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा पारगमन समझौते के पक्षकार हैं, और

उक्त अभिसमय के अनुरूप, अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच अनुसूचित हवाई सेवाएं स्थापित करने के उद्देश्य से एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजन के लिए:

(क) "अभिसमय" से आशय 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननअभिसमय से है और इसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन अपनाया गया कोई भी अनुलग्नक तथा उसके अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अभिसमय या अनुलग्नकों में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है, जिन्हें दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा अपनाया गया हो;

(ख) "विमानन प्राधिकरण" से, भारत सरकार के मामले में, नागर विमाननमहानिदेशक और नॉर्वे राज्य के मामले में, नॉर्वेजियन नागर विमाननप्रशासन अभिप्रेत है; अथवा दोनों मामलों में, कोई भी व्यक्ति या निकाय जो उपर्युक्त प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को करने के लिए अधिकृत हो;

(ग) "नामित एयरलाइन" से ऐसी एयरलाइन अभिप्रेत है जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित किया गया हो;

(घ) "राज्यक्षेत्र", "हवाई सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में निर्धारित हैं;

(ङ) "अनुलग्नक" से इस समझौते का अनुलग्नक या इस समझौते के अनुच्छेद 17 के पैराग्राफ (2) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित अनुलग्नक अभिप्रेत है। अनुलग्नक इस समझौते का अभिन्न अंग है और समझौते के सभी संदर्भों में अनुलग्नक का संदर्भ भी शामिल होगा, सिवाय इसके कि अन्यथा प्रावधान किया गया हो;

(च) "टैरिफ" से यात्रियों, सामान और माल के परिवहन के लिए देय कीमतें तथा वे शर्तें अभिप्रेत हैं जिनके अधीन वे कीमतें लागू होती हैं, जिनमें एजेंसी और अन्य सहायक सेवाओं के लिए कीमतें और शर्तें शामिल हैं, किंतु डाक के परिवहन के लिए पारिश्रमिक या शर्तें शामिल नहीं हैं।

अनुच्छेद 2
यातायात अधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

(क) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के ऊपर बिना उतरे उड़ान भरने का;

(ख) उक्त राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव करने का;

(ग) इस समझौते के अनुलग्नक में निर्दिष्ट बिंदुओं पर उक्त राज्यक्षेत्र में ठहराव करने का, ताकि यात्रियों, कार्गो और डाक के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को अलग-अलग या संयोजन में उतारा और चढ़ाया जा सके।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) की कोई बात एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसे यात्रियों, कार्गो और डाक को, जो पारिश्रमिक या किराये पर ले जाए जा रहे हों और उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य बिंदु के लिए नियत हों, उठाने का विशेषाधिकार प्रदान करने वाली नहीं मानी जाएगी।

अनुच्छेद 3
एयरलाइन का नामांकन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में एक एयरलाइन नामित करने का अधिकार होगा, ताकि निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन किया जा सके।

2. ऐसा नामांकन प्राप्त होने पर दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन, बिना विलंब नामित एयरलाइन को उपयुक्त परिचालन प्राधिकरण प्रदान करेगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के विमानन प्राधिकरण दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन से यह संतुष्ट करने की अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्राधिकरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन पर सामान्यतः और युक्तिसंगत रूप से लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित परिचालन प्राधिकरण देने से इनकार करने या नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि उक्त संविदाकारी पक्ष इस बात से

संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है।

5. जब किसी एयरलाइन को इस प्रकार नामित और अधिकृत कर दिया गया हो, तो वह सहमत सेवाओं का संचालन आरंभ कर सकती है, बशर्ते कि इस समझौते के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ उस सेवा के संबंध में प्रभावी हो और अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो। साथ ही, सहमत सेवाओं के संचालन से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी भी संप्रेषित की जाएगी, जिसमें ऐसी जानकारी शामिल होगी जिसकी आवश्यकता विमानन प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने के लिए हो सकती है कि इस समझौते की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 4
परिचालन प्राधिकरण का निरसन, निलंबन और शर्तों का अधिरोपण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के परिचालन प्राधिकरण को निरस्त करने, या इस समझौते के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट अधिकारों के उसके प्रयोग को निलंबित करने, या इन अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे:

   (क) किसी भी मामले में, जब वह इस बात से संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है; या

   (ख) जब वह एयरलाइन इन अधिकारों को प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों या विनियमों का पालन करने में विफल हो; या

   (ग) जब एयरलाइन अन्यथा इस समझौते के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार संचालन करने में विफल हो।

2. जब तक कानूनों या विनियमों के और उल्लंघन को रोकने के लिए पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निरसन, निलंबन या शर्तों का अधिरोपण तत्काल करना आवश्यक न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष से परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 5
हवाई अड्डों और सुविधाओं का उपयोग

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं के उपयोग के लिए लगाए गए प्रभार, समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संलग्न राष्ट्रीय एयरलाइन के विमानों पर लगाए गए प्रभारों से अधिक नहीं होंगे।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने स्वयं के या किसी अन्य एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन पर अपने सीमा शुल्क, आव्रजन, संगरोध और समान विनियमों के अनुप्रयोग में अथवा अपने नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों, वायुमार्गों और अन्य सुविधाओं के उपयोग में प्राथमिकता नहीं देगा।

अनुच्छेद 6
सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों से छूट

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर संचालित विमान, साथ ही उनका नियमित उपकरण, ईंधन और स्नेहक की आपूर्ति तथा ऐसे विमान पर सवार विमान भंडार (जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू शामिल हैं), दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में पहुंचने पर सभी सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्क या करों से मुक्त होंगे, बशर्ते कि ऐसा उपकरण और आपूर्ति विमान पर तब तक बनी रहे जब तक उसे पुनः निर्यात न कर दिया जाए।

2. निम्नलिखित भी उन्हीं शुल्कों और करों से मुक्त होंगे, सिवाय निष्पादित सेवाओं के अनुरूप प्रभारों के:

(क) किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, उस संविदाकारी पक्ष के प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, विमान पर चढ़ाए गए विमान भंडार, जो दूसरे संविदाकारी पक्ष की अंतर्राष्ट्रीय सेवा में संलग्न विमान पर उपयोग के लिए हों;

(ख) किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में प्रयुक्त विमानों के रखरखाव या मरम्मत के लिए लाए गए अतिरिक्त पुर्जे;

(ग) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर संचालित विमानों की आपूर्ति के लिए नियत ईंधन और स्नेहक, भले ही इन आपूर्तियों का उपयोग उस यात्रा के उस भाग पर किया जाना हो जो उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के ऊपर से पूरी की जाती है जिसमें उन्हें विमान पर चढ़ाया गया है।

उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सामग्री को सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन रखने की अपेक्षा की जा सकती है।

अनुच्छेद 7
वायुयान उपकरण और आपूर्तियों का भंडारण

किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान का नियमित वायुयान उपकरण तथा उस पर रखी गई सामग्री और आपूर्तियां दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में केवल उस राज्यक्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकरणों की अनुमति से उतारी जा सकेंगी। ऐसी स्थिति में, उन्हें उक्त प्राधिकरणों की निगरानी में तब तक रखा जा सकता है जब तक उनका पुनः निर्यात न कर दिया जाए या सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा उनका निपटान न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 8
प्रवेश निकासी विनियम

किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से होकर पारगमन करने वाले यात्रियों पर अत्यधिक सरल सीमा शुल्क और आव्रजन नियंत्रण से अधिक नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा। सीधे पारगमन में सामान और कार्गो सीमा शुल्क तथा अन्य समान करों से मुक्त होंगे।

अनुच्छेद 9
क्षमता संबंधी प्रावधान

1. नामित एयरलाइनों द्वारा संचालित की जाने वाली सहमत सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित लोड फैक्टर पर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराना होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों को उनके संबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच सहमत सेवाओं का संचालन करने के लिए उचित और समान अवसर देगा, ताकि समानता और पारस्परिक लाभ प्राप्त किया जा सके, सिद्धांततः दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच कुल क्षमता का समान बंटवारा करके।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष और उसकी नामित एयरलाइन दूसरे संविदाकारी पक्ष और उसकी नामित एयरलाइन के हितों को ध्यान में रखेगी, ताकि बाद वाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े।

4. नामित एयरलाइनों के साथ उचित और समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए, एयरलाइंस अपनी अनुसूचित सेवाओं की आवृत्तियों, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों के प्रकार और उड़ान कार्यक्रम, जिसमें संचालन के दिन तथा आगमन और प्रस्थान के अनुमानित समय शामिल हैं, पर अग्रिम रूप से सहमत होंगी। यदि नामित एयरलाइनों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण पारस्परिक सहमति से मामले का निपटारा करेंगे।

5. यदि समीक्षा के बाद संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण सहमत सेवाओं पर उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली क्षमता पहले से सहमत कुल क्षमता (मौसमी परिवर्तनों सहित) से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद 10
टैरिफ

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए या वहां से परिवहन के लिए लगाए जाने वाले टैरिफ उचित स्तरों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सभी प्रासंगिक कारकों, जिनमें संचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ शामिल हैं, का उचित ध्यान रखा जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित टैरिफ, यदि संभव हो, तो नामित एयरलाइनों द्वारा उन अन्य एयरलाइनों से परामर्श के बाद सहमत किए जाएंगे जो मार्ग के पूरे या किसी भाग पर संचालन करती हैं, और ऐसी सहमति, जहां संभव हो, टैरिफ निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की प्रक्रियाओं के उपयोग से प्राप्त की जाएगी।

3. इस प्रकार सहमत टैरिफ, उनके लागू किए जाने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम साठ (60) दिन पहले, संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरणों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकरणों की सहमति से यह अवधि कम की जा सकती है।

4. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। यदि किसी भी विमानन प्राधिकरण ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर अस्वीकृति व्यक्त नहीं की है, तो ये टैरिफ अनुमोदित माने जाएंगे। यदि पैराग्राफ (3) में दिए अनुसार प्रस्तुत करने की अवधि कम की गई हो, तो विमानन प्राधिकरण इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति की सूचना दिए जाने की अवधि तीस (30) दिनों से कम होगी।

5. यदि किसी टैरिफ पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के अनुसार सहमति नहीं हो सकती, या यदि पैराग्राफ (4) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक विमानन प्राधिकरण दूसरे विमानन

प्राधिकरण को पैराग्राफ (2) के प्रावधानों के अनुसार सहमत किसी टैरिफ की अस्वीकृति की सूचना देता है, तो संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण पारस्परिक सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

6. यदि विमानन प्राधिकरण इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अधीन उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर, या पैराग्राफ (5) के अधीन किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते, तो विवाद का निपटारा इस समझौते के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

7. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक नया टैरिफ स्थापित न हो जाए। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर किसी टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह महीनों से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को वह अन्यथा समाप्त हो गया होता।

अनुच्छेद 11
आय का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को पहले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अर्जित प्राप्तियों में से व्यय से अधिक राशि को अपने प्रधान कार्यालय में प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, ऐसे प्रेषण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में और उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी विनिमय विनियमों के अधीन तथा उनके अनुसार किए जाएंगे जिसके राज्यक्षेत्र में राजस्व अर्जित हुआ है।

2. ऐसे अंतरण मुद्रा भुगतान के लिए आधिकारिक विनिमय दर के आधार पर, या जहां कोई आधिकारिक विनिमय दर नहीं है, वहां मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनिमय बाजार दरों पर किए जाएंगे।

3. एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दिए गए व्यवहार से कम अनुकूल व्यवहार नहीं दिया जाएगा।

4. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतानों के निपटान को नियंत्रित करने वाली विशेष व्यवस्थाएं प्रभावी हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं के प्रावधान इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अधीन निधियों के अंतरण पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 12
सांख्यिकी का प्रावधान

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के विमानन प्राधिकरण अपने नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से दूसरे संविदाकारी पक्ष के विमानन प्राधिकरणों को प्रत्येक माह सहमत सेवाओं पर उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए और वहां से किए गए यातायात से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, जिनमें ऐसे यातायात के मूल और गंतव्य के देश तथा यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक के चढ़ने और उतरने के बिंदु दर्शाए जाएंगे। ऐसे आंकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

अनुच्छेद 13
एयरलाइन का प्रतिनिधित्व

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को पारस्परिकता के आधार पर अपने राज्यक्षेत्र में ऐसे कार्यालय तथा प्रशासनिक, वाणिज्यिक और तकनीकी कार्मिक बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है जो संबंधित नामित एयरलाइन की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 14
उड़ान कार्यक्रमों का अनुमोदन

1. एक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अपने यातायात कार्यक्रम को संचालन शुरू होने से कम से कम तीस (30) दिन पहले दूसरे संविदाकारी पक्ष के विमानन प्राधिकरणों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम में समय-सारिणी, सेवाओं की आवृत्ति और उपयोग किए जाने वाले विमानों के प्रकार शामिल होंगे।
2. बाद की तारीख में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अनुमोदन के लिए विमानन प्राधिकरणों को सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 15
विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः पुष्टि करते हैं कि गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमाननकी सुरक्षा की रक्षा करने का एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन उनके अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष विशेष रूप से 14 सितंबर 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसंबर 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैरकानूनी अपहरण के दमन के लिए अभिसमय और 23 सितंबर 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमाननकी सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के लिए अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।
2. संविदाकारी पक्ष अनुरोध किए जाने पर एक-दूसरे को नागरिक विमानों के गैरकानूनी अपहरण के कृत्यों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाई अड्डों और हवाई नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्यों तथा नागर विमाननकी सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे को रोकने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
3. पक्ष अपने पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननसंगठन द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननअभिसमय के अनुलग्नकों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप, उस सीमा तक कार्य करेंगे जिस सीमा तक ऐसे सुरक्षा प्रावधान पक्षों पर लागू होते हैं; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्टर के विमान के ऑपरेटर, या ऐसे विमान के ऑपरेटर जिनका प्रमुख व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है, तथा उनके राज्यक्षेत्र में हवाई अड्डों के ऑपरेटर ऐसे विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।
4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सहमत है कि ऐसे विमानों के ऑपरेटरों से दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रवेश, प्रस्थान या उसके राज्यक्षेत्र में रहते समय पालन करने के लिए पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अपने राज्यक्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने और चढ़ने या लोड करने से पहले तथा उसके दौरान यात्रियों, चालक दल, साथ ले जाए जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो और

विमान भंडार का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशिष्ट खतरे से निपटने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उचित विशेष सुरक्षा उपायों के अनुरोध पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

5. जब नागरिक विमान के गैरकानूनी अपहरण या ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाई अड्डों या हवाई नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्यों की कोई घटना या घटना का खतरा उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्ष संचार को सुगम बनाकर और ऐसी घटना या उसके खतरे को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से अन्य उपयुक्त उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 16
परामर्श

1. घनिष्ठ सहयोग की भावना से, संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण इस समझौते और इसके अनुलग्नक के प्रावधानों के कार्यान्वयन और संतोषजनक अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।
2. कोई भी संविदाकारी पक्ष परामर्श का अनुरोध कर सकता है, जो चर्चा या पत्राचार के माध्यम से हो सकता है, और अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होगा, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष इस अवधि को बढ़ाने पर सहमत न हों।

अनुच्छेद 17
संशोधन

1. यदि किसी संविदाकारी पक्ष को इस समझौते के किसी प्रावधान में संशोधन करना वांछनीय लगता है, तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है; ऐसा परामर्श, जो विमानन प्राधिकरणों के बीच हो सकता है और जो चर्चा या पत्राचार के माध्यम से हो सकता है, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होगा, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष इस अवधि को बढ़ाने पर सहमत न हों। इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदित किए जाने और राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रभावी होगा।
2. इस समझौते के अनुलग्नक में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम विमानन प्राधिकरणों के बीच प्रत्यक्ष समझौते द्वारा किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 18
बहुपक्षीय अभिसमयों के अनुरूपता

इस समझौते और इसके अनुलग्नक में ऐसे किसी बहुपक्षीय अभिसमय के अनुरूप संशोधन किया जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी हो सकता है।

अनुच्छेद 19
विवादों का निपटारा

1. यदि संविदाकारी पक्षों के बीच इस समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षों की सरकारें प्रथम स्थान पर बातचीत द्वारा उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगी।

2. यदि संविदाकारी पक्ष बातचीत द्वारा निपटारे पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो वे विवाद को निर्णय के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को भेजने पर सहमत हो सकते हैं। यदि वे ऐसा सहमत नहीं होते हैं, तो किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर विवाद को तीन मध्यस्थों के न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिनमें से एक-एक मध्यस्थ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और तीसरे को उन दोनों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तीसरा मध्यस्थ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अनुरोध करने वाले विवाद के पंचाट के लिए राजनयिक माध्यमों से सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर एक मध्यस्थ नामित करेगा और तीसरा मध्यस्थ इसके बाद की साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई संविदाकारी पक्ष निर्दिष्ट अवधि के भीतर मध्यस्थ नामित करने में विफल रहता है, या यदि तीसरा मध्यस्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियुक्त नहीं होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननसंगठन की परिषद के अध्यक्ष से किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा, जैसी स्थिति हो, एक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, तीसरा मध्यस्थ किसी तीसरे राज्य का राष्ट्रिक होगा और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

3. मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा और पंचाट की लागत के विभाजन का निर्णय करेगा।

4. संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के अधीन दिए गए किसी भी निर्णय का अनुपालन करेंगे।

अनुच्छेद 20
समाप्ति

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते को समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना दे सकता है; ऐसी सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननसंगठन को भी साथ-साथ संप्रेषित की जाएगी। ऐसी स्थिति में समझौता दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख के बारह (12) महीने बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की सूचना आपसी सहमति से वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति के अभाव में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननसंगठन द्वारा सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 21
पंजीकरण

यह समझौता और इसका अनुलग्नक तथा इसमें किया गया कोई भी बाद का संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमाननसंगठन के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद 22
प्रवेश-प्रवर्तन

यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से अस्थायी रूप से प्रभावी होगा और उस तारीख से अंतिम रूप से प्रभावी होगा जब संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे को नोटों के आदान-प्रदान द्वारा यह अधिसूचित कर देंगे कि इस समझौते के प्रवर्तन के लिए संविदाकारी पक्षों की संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 1995 को हिंदी, नॉर्वेजियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में किया गया। व्याख्या में किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अनुच्छेद अनुलग्नक

अनुलग्नक

खंड - I

भारत की नामित एयरलाइन को निम्नलिखित मार्गों पर दोनों दिशाओं में सहमत सेवाओं का संचालन करने का अधिकार होगा:

प्रस्थान बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	गंतव्य बिंदु	आगे के बिंदु
भारत में बिंदु	यूरोप में अपनी पसंद का एक बिंदु	ओस्लो	

खंड - II

नॉर्वे राज्य की नामित एयरलाइन को निम्नलिखित मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करने का अधिकार होगा:

प्रस्थान बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	गंतव्य बिंदु	आगे के बिंदु
नॉर्वे राज्य में बिंदु		दिल्ली; मुंबई	

टिप्पणियां:

1. नामित एयरलाइंस किसी एक या सभी उड़ानों में मध्यवर्ती बिंदु पर ठहराव करना छोड़ सकती हैं।
2. नामित एयरलाइनों द्वारा एक बार निर्दिष्ट किए गए मध्यवर्ती बिंदु को आईएटीए (IATA) यातायात अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा।
3. नॉर्वे की नामित एयरलाइन को एक ही उड़ान पर दिल्ली और मुंबई के लिए संचालन करने का अधिकार नहीं होगा।
4. भारत की नामित एयरलाइन द्वारा मध्यवर्ती बिंदु और ओस्लो के बीच 5वें स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।